(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन
पीठासीन अधिकारी अनूपसिंह आर.ए.एस

क जगमोहन पुत्र स्वं. विश्वामित्र जाति ब्राहामण निवासी बिजली खाँ का चौक, ण्डौन सिटी जिला करौली

रमेशचन्द
माणिकचन्द — पिसरान जगमोहन जाति ब्राहामण
ओमप्रकाश — निवासी बिजली खॉ का चौक हिण्डौन सिंटी जिला करौली
राजेश

श्रीमति सुशीला पुत्री जगमोहन पत्नि गंगाधर निवासी डी 96, तिलक नगर, भरतपुर

श्रीमति स्नेहलता पुत्री जगमोहन पत्नि कैलाशचन्द निवासी मौहल्ला चटीकना, करौली

पंकज पुत्र स्व. कुबेर
मु0 उर्मिला बेबा कुबेर — जाति ब्राहामण निवासी बिजली खॉ का चौक हिण्डौन
तरूण पुत्र संतोष — तहसील हिण्डौन जिला करौली
0 पीयूष पुत्र संतोष
1 मु0 आशा बेबा संतोष

— वादीगण

बनाम

क मुरारीलाल पुत्र विश्वामित्र जाति ब्राहमण निवासी बिजली खॉ का चौक, हिण्डौन जिला करौली

द्वारकाप्रसाद
2 महेश
3 राजेन्द्र उर्फ रज्जो — पिसरान स्वं. मुरारीलाल जाति ब्राॅहामण
4 अनिल उर्फ अन्नी — निवासी बिजली खॉ का चौक, हिण्डौन सिटी जिला करौली
5 राकेश

6 श्रीमति सुषमा पुत्री मुरारीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहामण निवासी [illegible] 427, ग्लोवल स्कूल के पास, तलबन्डी, कोटा जिला कोटा

कैलाश पुत्र भगवत
सुरेन्द्र पुत्र भगवत — सभी जातियान ब्राहामण निवासी चौबेपाडा
रामसुखी वेवा भगवत — हिण्डौनसिटी जिला करौली
5 माया पुत्री भगवत
3 उषा पुत्री भगवत

7 उषा वेवा सुमेर
8 मोहन पुत्र सुमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by An[illegible]
Date: 2022.06.08 16:[illegible]
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

9 गौरव पुत्र सुमेर   सभी जातियान ब्राहमण निवासी चौबेपाडा

10 सौरभ पुत्र सुमेर   हिण्डौन सिटी जिला करौली

11 बबीता पुत्री सुमेर

12 प्रियंका पुत्री सुमेर

13 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

14 सब रजिस्टार तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली

दावा धारा 53, 88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 11/2011
निर्णय दिनांक 25.02.2022

वादी की ओर श्री सीताराम गुर्जर वकील एडवोकेट उपस्थित
श्री राधामोहन गौस्वामी एवं श्री पुरूषोतम गोयल उपस्थित है। इस वाद मे आज
2022 (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के समक्ष अन्तिम
पेश होने पर आदेश किया जाता है कि प्रार्थनापत्र प्रतिवादी/प्राथींगण प्रति
फौत हो जाने पर उसके वारिसान कैलाश आदि द्वारा खिलाफ वादी/अप्रार्थी
नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है। मूल दावा मु0 नं0 11/
जगमोहन बनाम मुरारी वगै0 दावा धारा 88 53, 188 का इसी स्टेज पर खारिज
तथा इस दावे से संबंधित अन्य कोई भी प्रार्थनापत्र विचाराधीन है तो सभी निरस्त

यह डिक्री आज तारीख 25.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्याय
लगाकर दी।

पीठासीन
उपखण्ड
हिण्डौ

वादे के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ......रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 2 कमिश्नर की फीस 3 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

ायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी अनूपसिंह आर.ए.एस

ुकमा नम्बर 11/2011 जी सी एम सए नं0 2011/00271 तारीख रजू 13.01.2011

क जगमोहन पुत्र स्वं. विश्वामित्र जाति ब्राहामण निवासी बिजली खाँ का चौक,
डौन सिटी जिला करौली

रमेशचन्द
माणिकचन्द पिसरान जगमोहन जाति ब्राहामण
ओमप्रकाश निवासी बिजली खॉ का चौक हिण्डौन सिंटी जिला करौली
राजेश

श्रीमति सुशीला पुत्री जगमोहन पत्नि गंगाधर निवासी डी 96, तिलक नगर, भरतपुर
श्रीमति स्नेहलता पुत्री जगमोहन पत्नि कैलाशचन्द निवासी मौहल्ला चटीकना, करौली

पंकज पुत्र स्व. कुबेर
मु0 उर्मिला बेबा कुबेर जाति ब्राहामण निवासी बिजली खॉ का चौक हिण्डौन
तरूण पुत्र संतोष तहसील हिण्डौन जिला करौली
पीयूष पुत्र संतोष
मु0 आशा बेबा संतोष

— वादीगण

बनाम

क मुरारीलाल पुत्र विश्वामित्र जाति ब्राहमण निवासी बिजली खॉ का चौक, हिण्डौन
जिला करौली

द्वारकाप्रसाद
महेश
राजेन्द्र उर्फ रज्जो पिसरान स्वं. मुरारीलाल जाति ब्राहामण
अनिल उर्फ अन्नी निवासी बिजली खॉ का चौक, हिण्डौन सिटी जिला करौली
राकेश

श्रीमति सुषमा पुत्री मुरारीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहामण निवासी [illegible]
427, ग्लोवल स्कूल के पास, तलबन्डी, कोटा जिला कोटा

ाश पुत्र भगवत
न्द्र पुत्र भगवत सभी जातियान ब्राहामण निवासी चौबेपाडा
सुखी वेवा भगवत हिण्डौनसिटी जिला करौली
ा पुत्री भगवत
ा पुत्री भगवत

Signature Not Verified
Digitally signed by And
Date: 2022.06.08 16:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ा वेवा सुमेर
ड्न पुत्र सुमेर
रव पुत्र सुमेर — समी जातियान ब्राहामण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
ौरम पुत्र सुमेर
वीता पुत्री सुमेर
ैयंका पुत्री सुमेर

ैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिंटी जिला करौली

ब रजिस्टार तहसीलदार हिण्डौन सिंटी जिला करौली —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी

उपस्थिति 1 श्री सीताराम गुर्जर वकील वादीगण/अप्रार्थीगण
2 श्री राधामोहन गौस्वामी वकील प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1
3 श्री पुरूषोत्तम गोयल वकील प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं.1

निर्णय दिनांक:— 25-2-2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा खिलाफ प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत विवादित आराजी तृक बता कर पेश किया है जिसमें विवादित भूमि का मूल खातेदार पूर्वज विश्वामित्र होना कर उसके पुत्र भगवत, जगमोहन, मुरारी बताया गया है जिसमें भगवत फौत हो जाने पर वारिस कैलाश, सुमेर, सुरेन्द्र, रामसुखी, माया, उषा इनमें से भी भगवत का पुत्र सुमेर हो जाने पर उसके वारिस उषा वेबा मोहन, गोरव, सोरभ, बबिता, प्रियंका, दावे में सजरा कर पूर्वज विश्वामित्र के वारिस बताये गये है तथा विवादित आराजी 1139, 1140, 1299, 1301, 1324, कुल किता 6 कुल रकवा 3.40 है0 कस्वा हिण्डौन में स्थित होना एवं साविक खसरा नम्बर 695, 4955 होना बताया है। वादी व प्रतिवादी संयुक्त हिन्दू र की पैतृक आराजी बता कर पूर्वज विश्वामित्र से विरासत में प्राप्त हुई है। विश्वामित्र ने जीवनकाल में उक्त आराजी का किसी प्रकार की वसीयत दानपत्र, विक्रयपत्र या अन्य लिखित या रजिस्टर्ड दस्तावेजो के आधार पर अन्तरण नही किया गया है। वादी के के मरने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के बडे भाई भगवत प्रसाद कर वादी को अपने हिस्से से महरूम करने की गरज से वेरासत के नामान्तकरण में दर्ज नही कर स्वयं के नाम भूमि को दर्ज करवा हुए दावा पेश किया गया है। दावा दर्ज होने के वाद प्रतिवादीगणों की ओर से जवाव प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नं. 1 ने जवाव दावा पेश करने के बाद आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. ार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के वादपत्र के मद नम्बर 3 में वादी व दीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी होना तथा उन्हे विरासत में अपने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्वं. विश्वामित्र से प्राप्त होना दर्ज किया गया है किन्तु वादी द्वारा अपने दावे मे
नांक तक ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे वादी व प्रतिवादीगण की
त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी दर्ज है। वादपत्र में आराजी को पैतृक मानते हुए दावा
केया है जिसमें प्रतिवादी ने अपने जबाव दावा व पेश किये गये दस्तावेजों से स्पष्ट किया
वेवादित आराजी स्वं. विश्वामित्र की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसकों विश्वामित्र ने अपने
नकाल में दिनांक 03.05.1980 अपने दोनो पुत्र भगतवप्रसाद व मुरारीलाल को जरिये
टर्ड वसियत हस्तान्तरण कर चुके है तथा वादी जगमोहन बचपन मे ही मूलचंद पुत्र
लाल के गोद चला गया। मूलचंद की जायदाद पर वारिस बन गया और प्राकृतिक पिता
सम्पत्ति में वादी जगमोहन का हित कानून से नहीं रहा है। विवादग्रस्त आराजी में जब
गण के पिता स्वं. जगमोहन का कानूनन किसी प्रकार से कोई हित निहीत ही नही था, तो
गण दावा हाजा मे किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त नही कर सकते, तो मुकदमा हाजा
नन मैटेनेबिल नही होने के कारण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत
जनीय है। प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए वादीगण का दावा कानूनन पोषणीय नही होने के
ा खारिज करने की आज्ञा प्रदान करे।

वकील वादी ने प्रार्थनापत्र जबाव में प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.
के मद नं. 1 को स्वीकार तथा मद नं. 2 को अस्वीकार करते हुए विवादित आराजी
दरान मुकदमा की पैतृक आराजी हो, जो उन्हे अपने पूर्वज स्वं विश्वामित्र से विरासत में
हुई जिसके बाबत् वादीगण की ओर से आवश्यक दस्तावेज पेश किये गये है। मद नं. 3
ार नही है। प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि स्वं. विश्वामित्र की विवादित आराजी
र्जित हो और अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत प्रतिवादीगण भगतवप्रसाद व मुरारीलाल
ो है। प्रतिवादीगण का यह भी कथन गलत है कि वादी जगमोहन के मूलचंद के गोद
जाने से विवादित सम्पत्ति मे कोई हक व अधिकार नही रहा है बल्कि वादी जगमोहन
मूलचंद के गोद नही गया और ना ही मूलचंद की जायदाद का मालिक बना है। मद नं.
कार नही है जो गलत तथ्यो के आधार पर चाही गई सहायता के लिए दावा पेश किया
है जो हर प्रकार से मेंटेन्लेविल है। प्रतिवादीगण द्वारा ली गई आपत्ति को प्रतिवादीगण ने
दावा मे भी लिया है कि जिसका निस्तारण विवाधक वि[illegible]
रान तय होना है मौजूदा स्थिति में प्रार्थनापत्र प्रतिवादीगण कानूनन मेंटेन्ले[illegible] नही
रण खारिज योग्य हैं। प्रार्थनापत्र के जरिये ली गई [illegible]
न जबाव दावा मे लिये गये ऐतराज को देखना न्याय संगत नही है, केवल वाद पत्र को
ढ़ना होता है। अप्रार्थीगण 2 लगायत 22 के पिता बाबा ससुर भगवत प्रसाद ने [illegible]वादी
1 लगायत 1/6 के पिता मुरारीलाल के विरूद्व दावा बावत् घोषणा खातेदारी व स्थाई
ज्ञा व तकास्मा की दादरसी के लिए मु.नं. 426/2000 उनवानी भगतवप्रसाद बनाम
लाल आदि पेश किया जिसमें विवादित आराजीयात को पैतृक कृषि भूमि होना दर्ज किया
इसी आधार पर दावा दिनांक 28.04.2011 को न्यायालय से निर्णित हुआ है जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विचाराधीन है। प्रकरण हाजा में संबंधित प्रार्थनापत्र मु.नं. 10/2011 का निस्तारण पैतृक भूमि मानकर न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखने बाबत् आदेशित किया गया है। प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की परिधि [illegible] आने से कानूनन मेंटेन्लेबिल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। [illegible]दीगण ने अपनी कमजोरी को जानते हुए प्रकरण के निस्तारण को देरी ना करने की [illegible]से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन मेंटेन्लेबिल नही होने के कारण खारिज योग्य [illegible]तिवादी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया

हमने उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का [illegible]कन करने पर पाया कि वादीगण ने दावा बाबत् धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी [illegible]यम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें विवादित आराजी को संयुक्त हिंदू [illegible]र पैतृक भूमि प्रकट की गई है जिसमें मूल दावा में विवादित साबिक खसरा नम्बर 695, जिसके नवीन खसरा नम्बर 1139, 1140, 1299, 1300, 1301, 1324 बने है जिनके निम्न [illegible]ाज प्रस्तुत किये है।

दस्तावेज का नाम	सम्बत	खसरा नम्बर	नाम खातेदार
जमाबंदी	2063 से 68	नवीन1139, 1140, 1299,1300, 1301, 1324	कैलाश, सुमेर, सुरेन्द्र पिसरान भगवत, रामसुखी वेवा भगवत माया उषा पुत्रीया भगवत हिस्सा 1/2, मुरारी पुत्र विश्वामित्र हिस्सा 1/2
[illegible]क्शा ट्रेश	2063 से 68	नवीन1139, 1140, 1299,1300, 1301, 1324	उपरोकतानुसार
[illegible]मावंदी	2013 से 16	साविक 695	मुरारी पुत्र विश्वामित्र जाति ब्राहामण
[illegible]मावंदी	2017 से 20	695	मुरारी पुत्र विश्वामित्र जाति ब्राहामण
[illegible]मैलान [illegible]त्रफल	2046 से 66	साविक 695, 4955 हाल नम्बर 1139, 1140, 1299,1300, 1301, 1324	------------
[illegible]माबंदी	2037 से 40	साविक 4945/1	विश्वामित्र उर्फ बत्तूलाल [illegible] जाति ब्राहामण निवासी ग्र[illegible] नोट– [illegible] 1963 दिनांक 15.02.1983 [illegible] मुरारीलाल पिसरान विश्वामित्र जाति ब्राहामण का स्वीकृत हुआ।
[illegible]माबंदी	2037 से 40	साविक 695	मुरारी पुत्र विश्वामित्र जाति ब्राहामण
[illegible]मान्तकरण	सं. 2031	जमावंदी का खाता सं. 1202 मे किता 4	मुरारी पुत्र विश्वामित्र हिस्सा 1/2 को भूमि रहन में रखी गई।
[illegible]मान्तकरण	सं. 2131	जमावंदी का खाता सं. 1225 मे किता 2	भगवत पुत्र विश्वामित्र जाति ब्राहामण हिस्सा 1/2 फौत हो जाने पर विरासत नामान्तकरण कैलाश, शुमेर, सुरेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

			पिताजी भगवत प्रसाद सम्पूर्ण तथा भगवतप्रसाद नाम उक्त पुत्री भगवतप्रसाद हिस्सा 1/2 शेष बदस्तूर।
उल्लेखित पटवारी का स्थानिकृत सूचना पत्र	क्रमांक एफ आर/88/3805 दिनांक 26.12 1988	———	वादी जगमोहन पटवारी के पद से सेवानिवृत्त होने बाबत सूचना
राशन कार्ड	नगर पालिका हिण्डौन के द्वारा जारी 161/21	———	जगमोहन लाल पुत्र विश्वामित्र चतुर्वेदी हिण्डौन
मत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र	क्रमांक आर.जे/11/088/3386 08 दिनांक 17.01 1996	———	जगमोहन लाल पुत्र विश्वामित्र चतुर्वेदी हिण्डौन
शिक्षा विभाग का प्रमाण पत्र	क्रमांक 3146	2034	जगमोहन लाल पुत्र विश्वामित्र चतुर्वेदी हिण्डौन
स्थानिकृत आदेश जिला सवाई माधोपुर	क्रमांक 11397 दिनांक 11.09 1987	———	अन्य के साथ क्रमांक 21 पर जगमोहन लाल पुत्र विश्वामित्र चतुर्वेदी हिण्डौन

उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में यह तो साबित हो रहा है कि वादी जगमोहन लाल पुत्र मित्र चतुर्वेदी हिण्डौन जो कि विश्वामित्र का पुत्र है जो राजस्व विभाग में पटवारी के पद एक महत्वपूर्ण राजस्व विभाग की इकाई के रूप में जिम्मेदारी के रूप में रहा है। वादी में विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि बताई गई है किन्तु उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में कहीं पर यह नहीं बताया गया है कि वादी के पिता विश्वामित्र उर्फ त पुत्र कन्हीराम जाति ब्राहमण के नाम भूमि कहाँ से प्राप्त हुई. पैतृक संबंधी कोई ज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

प्रतिवादी नं. 1 ने अपने जवाब दावा, प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विवादित भूमि के सम्बंध में बहस में प्रस्तुत दस्तावेज निम्न है।

दस्तावेज का नाम	सम्वत	खसरा नम्बर	नाम खातेदार
जमाबंदी	2000 से 19	4945 रकबा [illegible] दिस्या	[illegible] पुत्र [illegible] ब्राहमण
जमाबंदी	2008 से 11	4945 रकबा 14 [illegible] 18 दिस्या	[illegible] ब्राहमण
राशन कार्ड पंजीका नगर पालिका हिण्डौन से	1993 से 94	राशन कार्ड पंजीका में क्रमांक 263 पर	जगमोहन [illegible] विश्वामित्र दत्तक पुत्र मूलचंदजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ारी			
सीयतनामा	वर्ष 1980	उपपंजीयक हिण्डौन में रजिस्टर्ड वसीयतनामा पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 6 क्रम संख्या 5 पृष्ठ संख्या 61 62 दिनांक 03.06.1980	विश्वामित्र उर्फ कन्हैयाराम पुत्र रूग्गीराम जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन द्वारा ममता पत्नी मुरारीलाल के हक में की गई।
डिक्री	उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के द्वारा	मु. नं. 426/2000 मे जारी दिनांक 28.04.2011	ममता बनाम मुरारी वगैरह
बटवार स्कीम	तहसीलदार हिण्डौन से जारी	डिक्री के अनुसार मौके पर बनाई गई बटवारा स्कीम दिनांक 21.04.2011	ममता बनाम मुरारी वगैरह

उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से यह [illegible] हो रहा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व यानि स्टेट महाराजाओं) के समय यानि सम्वत 2000 में भूमि वादी के पिता विश्वामित्र उर्फ [illegible]ाल पुत्र रूग्गीराम जाति ब्राह्मण के नाम प्रथम जमाबंदी में खातेदारी के रूप में दर्ज है जिससे यह प्रतीत होता है कि भूमि वादी के पिता विश्वामित्र की स्वअर्जित सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति के संबंध मे खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण करने के निम्न कानून है:–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में खातेदार अपनी मृत्यु से पूर्व खातेदारी भूमि/जोत को किसी भी व्यक्ति को किसी भी रिती से परिवर्तन या [illegible]तरण का पूर्ण अधिकार रखता है जो निम्न है।

सीयत– खातेदार अभिधारी जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित कि, उस स्कीम के अनुसार जिसके अध्यधीन वह है, विल द्वारा वसीयत कर सकेगा।

व्याख्या

[illegible]पत्र (वसीयत) द्वारा हित का अन्तकरण 2 स्वीय विधि का अर्थ

[illegible]ायत पर प्रतिबन्ध (धारा 42) 4 वसीयत/इच्छापत्र [illegible]

[illegible]सीयत सम्बन्धी विधि (2) वसीयत का अर्थ

[illegible]सीयत कोन कर सकता है। (4) वसीयत के अधीन सम्पत्ति किसे प्राप्त होगी

केस सम्पत्ति की बिल की जा सकेगी (6) बिल करने कि शक्तियाँ

[illegible]सीयत के मामले में नामान्तकरण का तरीका व वसीयत की वैधता की जाँच

[illegible]ायालय निर्णयों का सारांश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.08 16:06:18 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

र की स्वअर्जित सम्पत्ति नही होने पर निम्न कानून है।

भिधारियों का उत्तराधिकार– जब आसामी अन्तिमेच्छा पत्र छोडे विना मृत्यू को प्राप्त हो तो उसके भूमि क्षेत्र मे उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित जसके किवह अपनी मृत्यू के समय अधीन था

व्याख्या

नीय विधि (परसनल ला)का लागू होना (ख) मुस्लिम विधि की मुख्य बातें

त्तराधिकार के मामले मे नामान्तकरण (घ) न्यायालय निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त

न्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुख्य प्रावधान

द्वारा अपने वाद पत्र मे विवादित आराजी को हिन्दू सयुक्त परिवार पैतृक भूमि प्रकट की किन्तु वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह सावित हो सके कि विवादित आराजी हिन्दू परिवार पैतृक भूमि वादी के पूर्वजों दी के पिता को प्राप्त हुई हों। प्रार्थनापत्र ऑडर 7 नियम 11 सी.पी.सी के नियम निम्न से है।

। का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा–

जहॉ वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है।

जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक रने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

हॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर स समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

हां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। रन्तु मूल्यांकन की शुद्वि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा यत समय तब तक नही बढाया जायेगा जब तक कि न्यायाल का अभिलिखित किये ने वाले करणों से यह समाधान नही हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से यालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि ... अपेक्षित ाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे ... वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

रोक्त विवेचन से यह साबित है कि वादी जगमोहन जो कि विश्वामित्र उर्फ बत्तूलाल ग्गीराम जाति ब्राहामण का पुत्र तो अपने दस्तावेजो से सावित कर रहा है किन्तु त आराजी के सम्बंध में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह हो सके कि विश्वामित्र उर्फ बत्तूलाल पुत्र रूग्गीराम जाति ब्राहामण को भूमि अपने से प्राप्त हुई हों, विश्वामित्र को भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

ो ही प्रथम जमाबंदी में खातेदार रहा है जिससे यह साबित हो जाता है कि विश्वामित्र
यह भूमि आवंटन/नियमन से प्राप्त हुई हो। जहां पर वकील वादी/अप्रार्थी ने अपने
त्र प्रार्थनापत्र एवं दावा में यह दर्शित किया कि विश्वामित्र ने विवादित आराजी के संबंध में
ी प्रकार का दानपत्र, विक्रयपत्र, वसियत आदि नही किये गये है जबकि प्रतिवादी ने
ारा प्रस्तुत जबाव दावा के साथ प्रस्तुत वसीयतनामा की छायाप्रति पेश की गई है जिसमें
श्वामित्र ने अपने तीन पुत्र जगमोहन, भगवत, मुरारी बताये गये है और अपनी स्वअर्जित
ात्ति यानि विवादित आराजी को अपने दो पुत्र भगवत प्रसाद, मुरारीलाल के हक में
पंजीयक हिण्डौन के यहां पर दिनांक 03.05.1980 को दो गवाहों के साथ वसीयत प्रस्तुत
गई जिसे उपपंजीयक हिण्डौन ने तस्दीक कर दिया गया। इस वसीयत में वादी को अपने
वार में मूलचंद पुत्र चौथीलाल के गोद जाना बताया गया है जिसकी ताईद में प्रतिवादी ने
की ओर से प्रस्तुत नगर पालिका, हिण्डौन के राशनकार्ड पंजीका की छायाप्रति में वादी का
पंजीका के कम संख्या 263 पर वादी जगमोहनलाल पुत्र विश्वामित्र दत्तकपुत्र मूलचंद जो
गकुश का कुंआ के नाम से परिवार राशनकार्ड वर्ष 1993–94 में जारी कराया गया है।
ाके साथ विश्वामित्र फौत हो जाने के बाद मुताबिक वसीयत के अनुसार पटवारी हल्का
ण्डौन ने भगवत प्रसाद, मुरारीलाल पिसरान विश्वामित्र के हक में नामान्तकरण संख्या 2963
नांक 15.02.1983 दर्ज किया गया जो स्वीकार होकर दोनो ही खातेदार हो गये। वादी ने
त वसीयत एवं नामान्तकरण के संबंध में आज दिनांक तक किसी न्यायालय में चुनौती नही
गई है जबकि भगवत, मुरारी की संयुक्त खातेदारी होने पर इनके द्वारा अलग–अलग
ातेदारी करने हेतु न्यायालय में मु.नं. 426/2000 उनवानी भगवतप्रसाद बनाम मुरारीलाल
ावा विभाजन आदि का पेश किया गया जिसमें भी दोनो पुत्रों ने वादी को पक्षकार नही
नाया और दावा विधिवत सुनवाई होने के बाद दोनो भाईयों को अलग–अलग खातेदार दर्ज
र दिये गये। वकील वादी/अप्रार्थी का दौराने बहस प्रार्थनापत्र में यह कथन था कि इस
ंबंध में तनकी कायम होने के बाद दौराने साक्ष्य ही आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा
हां पर यह है कि न्यायालय में जो भी दावा, प्रार्थनापत्र आदि प्रस्तुत किये जाते है जो
सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जानी होती है जिसमें यह धारणा है कि दावे में
सुनने के दौरान जो भी आवेदन/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होंगें, उनका प्रथमतः निस्तारण करने के बाद
ही दावे में आगामी कार्यवाही की जावेगी चूंकि इस प्रकरण में प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध
प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया गया है। सी.पी.सी. के आदेश 7
नियम 11 के उपनियम (क) मे यह धारणा है कि "जहां यह वादहेतुक (वादकरण) प्रकट नही
करता है"। प्रकरण में वादी/अप्रार्थी ने अपने वादपत्र मे विवादित भूमि को संयुक्त हिन्दू
परिवार पैतृक सम्पत्ति प्रकट करने मे नाकाम रहे है बल्कि प्रतिवादी/प्रार्थी विवादित आराजी
को अपने पिता विश्वामित्र उर्फ बत्तूराम पुत्र रूग्गीराम जाति ब्राहामण की स्वअर्जित सम्पत्ति
साबित की है। इस प्रकार से वादी राजस्व विभाग में पटवारी के जिम्मेदार पद पर रहते हुए
राजस्व विभाग के समस्त नियमों की जानकारी होते हुए भी बिना किसी आधार पर दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया गया है जो विधि सम्मत् नही है। वसीयत की वैधता व अवैधता की जांच सिविल
ाय के क्षेत्राधिकार में है। राजस्व न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। दावा वादी
योग्य नही है। प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का
! किये जाने योग्य है।

ार्थनापत्र प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रतिवादी नं. 1 मुरारी फौत हो जाने पर उसके वारिसान
आदि द्वारा खिलाफ वादी/अप्रार्थीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया
है। मूल दावा मु0 नं0 11/2011 उनवानी जगमोहन बनाम मुरारी वगै0 दावा धारा 88
8 का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है तथा इस दावे से संबंधित अन्य कोई भी
ात्र विचाराधीन है तो सभी निरस्त रहेंगें। पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक
े न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested